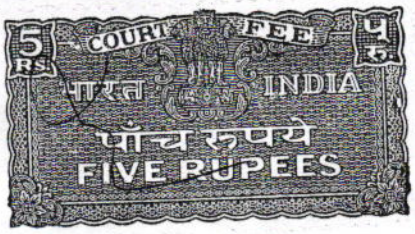

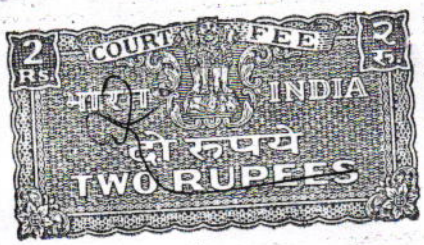

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE INDIA भारत 50 PAISE ५० पैसे 50 P.

111

C.A.B. 7.80

न्यायालय बोर्ड आफ रैवेन्यू मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १९६ निगरानी माल R66-I/96

R-1061-PBR/2004

Apoorlsharma
अपूर्वशर्मा
28/10/96

१- पहलवान सिंह } पुत्रगण हरगोविंद सिंह
२- प्रह्लाद सिंह }
३- श्रीमती फूलकुंवरि विधवा पत्नी हरगोविंद सिंह
४- श्रीमती बिट्टो पुत्री हरगोविन्द सिंह
५- श्रीमती मल्लू पुत्री हरगोविन्द सिंह
जाति क्षत्रिय निवासी ग्राम रवीया
तहसील पोरसा -- -- आवेदकगण

बनाम

१- सुहावन सिंह पुत्र अमोल सिंह ठाकुर ग्राम रवीया
२- निहाल सिंह वात्मज मनुसिंह
३- मदनगोपाल वात्मज गोकुल सिंह
४- मानसिंह वात्मज कुंवर रामसिंह
जाति ठाकुर निवासी ग्राम रवीया
तहसील पोरसा
-- -- -- -- अनावेदकगण

216 - V
अजीत शर्मा 28.10.96
28.10.96

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म० प्र० लैण्ड रैवेन्यू कोड विरुद्ध आदेश दिनांक २१।८।९६ पारित द्वारा श्री ओ०एस० चौहान अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक ३२०।८७-८८ अपील जिसके द्वारा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी अंबाह के प्र०क्र० १८।८७-८८ अपील में दिए गए आदेश दि० ५।७।८८ को स्थिर रखा ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक R-1061–पीबीआर/04 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 327/87–88 /अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–1996 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 190/110 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि वह ग्राम देवरछी की भूमि, जिसके भूमिस्वामी अनावेदक हैं, पर उनका पुराना कब्जा है अतः पुराने कब्जे के आधार पर उन्हें भूमिस्वामी घोषित किया जाये । उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार ने आदेश दिनांक 1–8–90 द्वारा स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अनुविभगीय अधिकारी ने इस आधार पर स्वीकार की कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही विधिअनुकूल नहीं थी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उनका 20–25 वर्षों से अनावेदक के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा है । अतः उन्हें मौरूसी कृषक के अधिकारी उत्पन्न हो गये हैं	

R 1061 - PBR/04 (सुरेना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विचारण न्याालय में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया । और विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर आदेश पारित किया । सहमति के आधार पर पारित आदेश की अपील नहीं हो सकती है, इस तथ्य को दोनों अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा किया है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि केवल कब्जे एवं सहमति के आधार पर स्वत्व अर्जित नहीं होता है, उसके लिए व्यवहार न्यायालय ही सक्षम है । उनके द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके कथन कराए गए हैं, इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान अनुविभागीय अधिकीर के आदेश के पैरा 2 एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पैरा 4 की ओर दिलाया गया । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही पूरी तरह अवैधानिक है अतः विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है, जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा इस बात की जांच नहीं की गई कि आवेदक जिस भूमि पर भूमिस्वामी घोषित कराने की मांग कर रहा है, उस पर भूमिस्वामी के रूप में कौन अंकित है और उन सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है । प्रकरण में अनावेदक को विधिवत सूचना नहीं हुई है । इस बात की जांच नहीं की गई है कि क्या पक्षकारों के मध्य कोई अनुबंध हआ था और उसके एवज में कोई प्रतिफल अनावेदक को दिया गया		

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 1061–पी.बी.आर./04

जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	था । उक्त त्रुटियों के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	